

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०-2/एल-97/2024- /स्वा०, पटना, दिनांक / / 2025

डा० माधुरी रानी, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (स्त्री रोग), सदर अस्पताल, सीतामढी द्वारा दिनांक-15.07.2024 से 10.01.2025 तक कुल-180 (एक सौ अस्सी) दिन उपभोगित अवकाश अवधि को वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-638(25), दिनांक-21.03.2025 एवं वित्त विभागीय अधिसूचना संख्या-9889, दिनांक-01.12.2015 के आलोक में शिशु देखभाल अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है। उपभोगित अवकाश को घटाने के पश्चात डा० माधुरी रानी को 550 (पाँच सौ पचास) दिन शिशु देखभाल अवकाश आदेय रह जाता है।

2 इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विद्यानन्द जमादार)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-2/एल-97/2024- 724(2) पटना, दिनांक 9/5/2025

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सीतामढी/अधीक्षक, सदर अस्पताल, सीतामढी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: कोषागार पदाधिकारी, सीतामढी/डा० माधुरी रानी, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (स्त्री रोग), सदर अस्पताल, सीतामढी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव